कार्यालय जनपद न्यायाधीश बागपत।

केन्द्रीय नजारत अनुभाग
दिनांकः–08.09.2016

निविदा सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत के आदेश दिनांक 12.08.2016 के अनुपालन में जनपद न्यायालय बागपत के अपर जिला जज श्रेणी के न्यायालय कक्षा में ए0 सी0 स्थापित किये जाने है उक्त के सम्बन्ध में संलग्न तालिका में विवरणी के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है। (Tender/Bill of Quantity Annexure-1) सम्बन्धित इच्छुक पंजीकृत फर्म/कम्पनी/दुकानदार से सील्ड बन्द निविदायें दिनांक 09.09.2016 से दिनांक 10.10.2016 तक अपरान्ह 4.00 बजे तक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय बागपत स्थान बागपत हेतु आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म एव सम्बन्धित शर्ते दिनांक 09.09.2016 से दिनांक 10.10.2016 किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे के मध्य केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त निविदायें दिनांक 15.10.2016 अपरान्ह 4.00 बजे जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष में इन्फ्रा0 उप समिति की देखरेख में प्राप्त निविदाओं की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। उक्त तिथि को निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/कम्पनी/दुकानदार आदि स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से भी उपस्थित रह सकते है। निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/कम्पनी/दुकानदार आदि के अनुपस्थिति में भी समिति निविदा की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। निविदा आवेदन फार्म केन्द्रीय नजारत से अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वैबसाईड से अपलोड कर प्राप्त किये जा सकते है। निर्धारित फार्म के अतिरिक्त अन्य प्रारूप पर प्रेषित निविदाएं स्वीकार्य नहीं होगी।

उपरक्त वस्तुओ की निविदा आवेदन फार्म केन्द्रीय नजारत अथवा www.allahabadhighcourt.in माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एव www.ecourt.gov.in baghpat जनपद न्यायालय बागपत की वैबसाईड से अपलोड कर प्राप्त किये जा सकते है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

[illegible]	मुकेश कुमार सिंह,	लालचन्द–द्वितीय,
सदस्य	सदस्य,	अध्यक्ष
इन्फ्रा0 उपसमिति, बागपत।	इन्फ्रा0 उपसमिति, बागपत।	इन्फ्रा0 उपसमिति, बागपत।

पत्रांक 190 दिनांक– 10-9-16

प्रतिलिपि– निविदाओ के उचित प्रचार–प्रसार हेतु

1. माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत के सूचनार्थ एव अवलोकनार्थ।
2. सूचना अधिकारी बागपत को स्थानीय समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय बागपत को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एव जनपद न्यायालय बागपत के वैबसाईड पर अपलोड कराये जाने हेतु।
4. केन्द्रीय नाजिर को सभी सार्वजनिक स्थल/नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

08.09.2016
लालचन्द द्वितीय
अध्यक्ष, इन्फ्रा0 उपसमिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–01
जनपद न्यायालय बागपत।

जनपद न्यायालय बागपत हेतु निविदाओ के नियम व शर्ते

01. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनॉक 12/08/2016 के अनुपालन मे जनपद न्यायालय बागपत हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायालयो मे ए0सी0 स्थापित किये जाने हेतु सम्बन्धित उपकरण आदि क्रय किये जाने के सम्बन्ध मे वित्त विध अंक 2011 के भण्डार–क्रय नियम पैरा 11 एवं 12 मे निहित प्राविधानो के अधीन दिनॉक 12/10/2016 को सायं 4.00 तक निविदाए आमंत्रित की जाती है।

02. 31 स्पिलिट एयर कण्डीशनर, टी0पी0एन, डी0बी0, एम0सी0बी0, डी0पी0 एम0सी0बी0, 4 पोल एम0सी0बी0 तथा विधुत कन्टोल पैनल इत्यादि के साथ प्रत्येक ए0सी0 हेतु 5 के0वी0ए0 स्टेबलाइजर आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी प्राप्त निविदाएं दिनांक 15.10.2016 को इंफ्रा0 उप समिति के समक्ष सायं 4.00 बजे जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष में समिति की देखरेख में निविदा की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

03. जनपद न्यायालय बागपत की एयर कण्डीशनर आदि उपकरण क्रय किये हेतु निविदा आवेदन फार्म केन्द्रीय नजारत से अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाईड से अपलोड कर प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन फार्म शुल्क 100 (एक सौ रूपये मात्र) धरोहर धनराशि (कुल धनराशि के सापेक्ष 1/2% प्रतिशत से अधिक एवं 2% प्रतिशत तक) के साथ नगद, बैंक ड्राफ्ट, व भारतीय पोस्टल आर्डर या 100 रूपये केन्द्रीय नजारत बागपत मे जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

04. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पाच भाग–1 के पैरा 71 के अनुसार जमानत धनराशि की धनराशि, राष्ट्रीय बचतपत्रों, राष्ट्रीयकृत बैंको के मियादी जमा रसीदां, बैंक जमा रसीदे इत्यादि के रूप मे भी "जनपद न्यायाधीश बागपत" के पक्ष मे जमा की जा सकती है।

05. निविदाओ की नियम एवं शर्तो का किसी भी कार्य दिवस मे केन्द्रीय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय बागपत से समय 10.30 बजे से सायं 4.30 बजे तक अवलोकन कर प्राप्त की जा सकती है।

06. वित्त विध अंक 2011 के भण्डार–क्रय नियम पैरा 12 मे निहित प्राविधानो के अधीन उल्लेख किया गया है कि यदि धनराशि का लागत मुल्य 1,00,000/–से अधिक निविदाए बड़े मूल्य की निविदाए मानी जायेगी तथा उनकी प्राप्ति के लिये कम से कम एक माह का समय दिया जायेगा।

आख्या माननीय महोदय की सेवा मे प्रेषित है।

बबूली	मुकेश कुमार सिंह	लालचन्द्र–द्वितीय
सदस्य,	सदस्य,	अध्यक्ष,
इन्फ्रा0 उपसमिति, बागपत।	इन्फ्रा0 उपसमिति, बागपत।	इन्फ्रा0 उपसमिति, बागपत।